



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय

दूसरी मंजिल, जी.एस.आई. फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-(छ.ग)- 492005,
टेलीफेक्स 0771-2282530, 2285595, Email-ro.raipur.ibm@gmail.com

सं	छग/बलोद/लौअ/38MPR13004	दिनांक	13/1/2017
प्रेषित	श्री एन के मण्डल उप महा प्रबन्धक एवं एजेंट खान महामाया दलकी लौह अयस्क खान सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड/बीएसपी पोस्ट-दल्ही राजारा, जिला -बलोद , छत्तीसगढ़- 491228		
विषय-	छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में स्थित महामाया दलकी लौह खनिज खान 1522.67 ha में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में- खान कोड- 38MPR13004		
महोदय,			

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 6/12/2016 को श्री जे एस हाड़ा सहायक खनन भूविज्ञानी द्वारा श्री कुमार शिवेश खान प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण में पाया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
12(3) read with 13(1)	The scheme of mining of the area was last approved on 18/5/2012 for a period of five years and was valid upto 31/3/2016. A scheme of mining for next five years period was due for submission on 1/12/2015 but same has not been submitted to Regional controller of mines , IBM. Therefore as on date there is no valid scheme of mining for the said mining lease area and mining operations are being carried out without having an approved scheme of mining. Thus attract the provision of rule 13(2) of MCDR 1988.
45(5)(b)	The annual return for the year 2015-16 has not been submitted online. It is also advised to submit return leasewise.
46	Notice of appointment of Agent/ Manager of mines have not been submitted.

- 3 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 (संशोधित एमसीडीआर 2011) के नियम 45(7)(1) / 13(2) के अंतर्गत
- (क) खदान की सारी संक्रियाएं बन्द की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।
- 4 अतः इस पत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर कारण बताए कि नियम 13(1) के उल्लंघन के लिए आपकी खदान की खनन संक्रियाएं क्यों न निलंबित की जाए।

भवदीय

(बी.एल.गुर्जर)

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी
क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

- 1 खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल , डी ब्लॉक कैपिटल कॉम्प्लेक्स नया रायपुर छत्तीसगढ़

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो